

आदेश व इजलास प्रकारा राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
प्रकरण संख्या 109/2023 (धारा 14 सिक्कुरिटाईजेशन)

बैंड किनर्स लिमिटेड (पूर्व में बैंड लीजिंग एंड फाईनेंस कंपनी लिमिटेड), 'बैंड हाऊस', द्वितीय
तल, 1 तारा नगर, अजमेर रोड, जयपुर, राजस्थान।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. छीतर मल कुमावत पुत्र श्री किशन कुमावत,
2. प्रवीण कुमार कुमावत पुत्र श्री छीतर मल कुमावत,
3. विपिन कुमावत पुत्र श्री छीतर मल कुमावत,
4. मीना कुमावत पत्नी श्री प्रवीण कुमार

पता-प्लॉट नम्बर 261, कुमावत मोहल्ला, गोरधनपुरा, तेजाजी मन्दिर के पास, फुलेरा, जयपुर।

5. मुक्ति राम पुत्र श्री मंसा राम,

पता-प्लॉट नम्बर 82, नायकों का मोहल्ला, चौसला, तहसील नाया, जिला नागौर।



अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर

The application under section 14 of The Securitisation and
Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security
Interest Act, 2002

लपस्थित-श्री विक्रम सिंह अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश

दिनांक 17.02.2023

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 13.10.2015 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी छीतर मल कुमावत पुत्र श्री किशन कुमावत के स्वामित्व की सम्पत्ति 261, वार्ड नम्बर 06, ढाणी गोरधनपुरा, कुमावतों का मोहल्ला, फुलेरा, जयपुर, राजस्थान, कुल क्षेत्रफल 357.95 वर्गज को बन्धक रख कर कुल 10,00,000/-रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 19.07.2022 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गए। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर वार्ड रजिस्ट्रार किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का मर्लागति अवलोकन किया गया।
3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्थान ने अप्रार्थीगणों को 10,00,000/-रुपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि 34,36,808/-रुपये की ऋण सुविधा जमा करने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 19.07.2022 को अधिनियम की धारा 13(2) के अधीन रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया, अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति को कब्जा प्राप्त करने की अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्राधिकृत अधिकारी ने धारा 14 के समर्थन में आवश्यक शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया है।
4. अतः The Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी छीतर मल कुमावत पुत्र श्री किशन कुमावत के स्वामित्व की सम्पत्ति 261, बार्ड नम्बर 06, टाणी गोरघनपुरा, कुमावतों का मोहल्ला, फुलेरा, जयपुर, राजस्थान, कुल क्षेत्रफल 357.95 वर्गगज का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
7. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे कि उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करे एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें। आदेश की प्रति हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।



(प्रकाश राजपूत)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर